उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

सख्या —1587 —अ0प्र0—07 / पाकालि / 15—16—अ0प्र0—07 / 14 दिनांक 30.06.2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 8.33% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0—485—ए—आर / राविपि—01—28—एआर / 89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर,लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

क्र0 सं0	नाम / पिता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद / वर्ग / वरिष्ठता क्रमांक / ट्रेड	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित निगम / इकाई	आवण्टित अभिज्ञान सं0
1	श्री कुलदीप कुमार / श्री सत्यपाल सिंह / 05.03.1977 / बिजनौर / पिछ़डी जाति / 9362 / इलैक्ट्रिकल	वि0वि0मं0, सम्भल, चन्दौसी	पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ	2015173

श्री कुलदीप कुमार की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति, अवर अभियन्ता संवर्ग में उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री प्रभात सिंह (वरि0क्र0—9365) की कारपोरेशन के प्रोन्नति आदेश सं0—1137—अ0प्र0—07 / पाकालि / 15—16—अ0प्र0—07 / 14, दिनांक 19.05.2015 द्वारा की गयी प्रोन्नति की तिथि अर्थात् 19.05.15 से ही प्रभावी मानी जायेगी।

2. **"यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0—60876 / 2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"**

3. सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :—

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

(ग) अवर अभियन्ता के विरूद्ध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो उनके नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

(घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। **विलम्बतमः एक माह के भीतर** कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नही हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0–79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

6. आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण निति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

7. प्रोन्नत अधिकारियो को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

8. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, प्रोन्नत/अवांटित अधिकारी की तैनाती का जोन वर्तमान में कार्यरत जोन से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–1587–अ0प्र0–07/पाकालि/2015/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्क्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करे।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
7. उप सचिव (अ0प्र0–03/04) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता **(Website)** उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0–03/04)/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. संबंधित अधिकारी को इस आशय से कि वे प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र एवं हिन्दी भाषा उत्तीर्ण करने विषयक प्रमाणपत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव